न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री शक्ति सिंह राठौड़, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2024/960/जिला–अजमेर

1. गोपी पुत्र श्री रामकरण
2. श्रवण पुत्र श्री रामकरण (मृतक) जरिये वारिसानः–

2/1 श्रीमति लादी पत्नी स्व0 श्री श्रवण
2/2 राजू पुत्र स्व0 श्री श्रवण
2/3 जसराज पुत्र श्री श्रवण (मृतक) जरिये वारिसानः–
2/3/1 श्रीमति बीना पत्नि श्री जसराज
2/3/2 शुभम पुत्र श्री जसराज नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमति बीना पत्नि श्री जसराज
समस्त जाति भाबी निवासी मोतीपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2/4 श्रीमति ममता पुत्री श्री श्रवण पत्नि श्री राजू जाति भांबी निवासी रामपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामपाल पुत्र स्व0 श्री नाग्या उर्फ नागूराम जाति भांबी निवासी मोतीपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. हरदयाल पुत्र श्री नारायण जाति रेगर निवासी मकान नं0 2066/4 रिसाला मण्डी, नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद, जिला अजमेर।
4. श्री महेश कुमार शेषमा, तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर।
5. श्रीमती ललिता मीणा, भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत झडवासा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
6. श्रीमति पूनम जांगिड, हल्का पटवारी मोतीपुरा, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

———असल प्रत्यर्थीगण

7. पूसा पुत्र श्री रामकरण (मृतक) जरिये वारिसान–

7/1 श्रीमति मायादेवी पत्नी स्व0 श्री पूसा
7/2 ओमप्रकाश पुत्र श्री पूसा
7/3 रेखा पुत्री श्री पूसा
7/4 संतरा पुत्री श्री पूसा
7/5 रवि पुत्र श्री पूसा । नाबालिगान जरिये संरक्षक माता श्रीमती
7/6 ललिता पुत्री श्री पूसा । मायादेवी
समस्त जाति भाबी. निवासी मोतीपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

——— प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण

न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर सत्यमेव जयते

संभागीय आयुक्त अजमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश तहसीलदार, नसीराबाद अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या 546 दिनांक 04–05–2024

उपस्थित– 1. श्री अजीत सिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 तथा 7/1 से 7/6

निर्णय

दिनांकः– 24–11–2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मोतीपुरा स्थित वादग्रस्त आराजीयात चौसाला खसरा नम्बर 264 रकबा 2–18–10, 272 रकबा 2–7–10 273 रकबा 4–17–0. 274 रकबा 3–17–10 व 309 रकबा 1–13–0 बीघा जिनके वर्तमान खसरा नम्बर 681 685 686 682 684 687 910 तथा 910/1394 कायम किये गए तत्कालीन खातेदार मेघसिंह पुत्र श्री भूरसिंह से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24–4–1961 को क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त किया जो कि श्री रामकरण व अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण के पूर्वज की तन्हा खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है जिस बाबत अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण के हक में उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा डिक्रीयां जारी की जा चुकी है लेकिन उक्त डिक्रीयों की पालना राजस्व ऐजेन्सी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के बावजूद राजस्व रिकार्ड में नहीं की गयी जिससे प्रत्यर्थी संख्या 1 के समस्त स्वत्व समाप्त होने के बावजूद रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के इन्द्राज रह गये जिसकी आड में अवैधानिक रूप से शुन्य विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया गया जिसके आधार पर तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 के हक में नामांतरकरण संख्या 546 दिनाक 4–5–2024 को तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया। तहसीलदार, नसीराबाद के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त अजमेर

अपील के साथ प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर भी उभय पक्ष को सुना गया। अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि विवादित भूमि का राजस्व न्यायालय नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय/डिक्री एवं सिविल न्यायालय में प्रस्तुत रजिस्ट्री निरस्त बाबत वाद एवं अपीलार्थीगण द्वारा बेचान की गई भूमि की रजिस्ट्री पेश किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रकरण से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेज सुसंगत दस्तावेज है जो अपीलार्थीगण द्वारा जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये

गये है क्योंकि अपीलार्थीगण ने भूमि का बेचान कर दिया गया जिनका विवादित भूमि में कोई लेना–देना नहीं रहा है तथा बेचान की गयी भूमि की निर्णय/डिक्री दिनांक 04.06.2025 एवं 23.05.2025 को पारित की गयी की नकल प्राप्त कर अविलम्ब दस्तावेज पेश किये जा रहे है जो प्रकरण के न्याय निर्णय से सुलभता प्राप्त होगी जिससे आवश्यक दस्तावेज होने से साक्ष्य में माध्यम होने से रिकॉर्ड पर रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 के उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 का जवाब प्रस्तुत कर अपीलार्थीगण द्वारा कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम त्रुटिपूर्ण इन्द्राज बना रहा जिसका नाजायज लाभ उठाते हुए उसके द्वारा विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट सख्या 2 के हक में निष्पादित कर दिया गया जबकि डिक्री के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उक्त भूमि में निहित समस्त स्वत्वों का अवसान हो चुका है जिससे विक्रय पत्र दिनांक 15–3–2024 अपीलांट्स एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स के हक अधिकार एवं स्वत्वों पर बातिल एवं बेअसर होकर जारी डिक्रीयों के विरूद्ध होने से प्रभावशुन्य है लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 को नाजायज लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से नामातरकरण संख्या 546 दिनाक 4–5–2024 तस्दीक कर दिया जो निरस्तनीय है। अतः प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्षों की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट्स एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज रामकरण द्वारा ग्राम मोतीपुरा स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 1360 फसली अनुसार खसरा नम्बर 269, 270, 271 व 306 जिसके चौसाला खसरा नम्बर 264 रकबा 2–18–10, 272 रकबा 2–7–10, 273 रकबा 4–17–0, 274 रकबा 3–17–10 व 309 रकबा 1–13–0 बीघा मुर्तिब किये गए जिनके वर्तमान खसरा नम्बर 681, 685, 686, 682, 684, 687, 910 तथा 910/1394 कायम किये गए जो तत्कालीन खातेदार मेघसिंह पुत्र श्री भूरसिह से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनाक 24.4.1961 को क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त किया जो श्री रामकरण यथा अपीलाट्स एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज की तन्हा खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है एवं शेष चौसाला खसरा नम्बर 751 जो रामकरण एवं नाग्या की सयुक्त खातेदारी की भूमि थी लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा समस्त आराजीयात को पुश्तैनी बताते हुए उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर बटवारा बाद संख्या 14/2002 बजनवानी राधा बनाम गोपी वगैरह प्रस्तुत कर दिया गया तथा अपीलाट्स एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा सासरा नम्बर 751 को छोड़कर शेष आराजीयात बाबत पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उदघोषणा खातेदारी हेतु वाद सख्या 21/2002 बउनवानी गोपी बनाम रामपाल वगैरह प्रस्तुत किये गए जो विद्वान उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा दिनांक 30–1–2004 को वाद संख्या 21/2002 डिक्री किया गया एवं वाद संख्या

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

संभागीय आयुक्त
अजमेर

14/2002 बउनवानी राधा बनाम गोपी खसरा नम्बर 264, 272, 273, 274 एवं 309 बाबत निरस्त किया जाकर मात्र खसरा नम्बर 751 की हद तक डिक्री किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपीले प्रस्तुत की गयी जो दिनाक 8–2–2023 को निरस्त कर दी गयी जिसके विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा शिवराज पुत्र बालू द्वारा अपील सख्या 1639/2023 एवं 1643/2023 प्रस्तुत की गयी जिनमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के समस्त अधिकार डिक्री के आधार पर निरस्त हो गए जिसकी पालना हेतु अपीलाट्स द्वारा तहसीलदार, नसीराबाद के समक्ष कई मर्तबा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गए लेकिन कोई पालना नहीं की गयी एंवं राजस्व रिकार्ड में समस्त खसरा नम्बरान का हिस्सा बन्दोबस्त विभाग द्वारा कारित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के आधार पर जमाबन्दी में यथावत दर्ज रहने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जमाबन्दी में दर्ज शुन्य प्रविष्टि का नाजायज लाभ अर्जित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर एवं उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्रीयों के विरुद्ध जाकर एक पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15–3–2024 को निष्पादित कर दिया जिसकी आड में नामातरकरण संख्या 546 दिनांक 4–5–2024 को रेस्पोडेन्ट सख्या 2 के हक में तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनाक 24–4–1961 को आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय में चुनौती प्रदान नहीं की गयी है एवं परीक्षण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण के हक में डिक्रीयां जारी की जा चुकी हैं जिससे तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 15–3–2024 उक्त डिक्री के विरूद्ध होकर प्रभावहीन है जिसकी पूर्ण जानकारी तहसीलदार नसीराबाद भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को थी क्योंकि उक्त डिक्रीयों में स्वयं तहसीलदार सक्षम न्यायालय में उदघोषणात्मक वाद होने से मुख्य पक्षकार मुर्तिब हैं। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर नामांतरकरण सख्या 546 दिनांक 4–5–2024 तस्दीक कर दिया जो काबिल निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की स्वीकार की जाकर तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 546 दिनाक 4–5–2024 को निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.1.2004 एवं विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.2.2023 की पालना में वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट्स एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स के नाम नामांतरकरण तस्दीक किया जाकर अधिकार अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

संभागीय आयुक्त अजमेर

अपीलार्थी के अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद के विचाराधीन रहने के दौरान नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत कर कानूनी भूल की है। उक्त कथनों के समर्थन में अपीलार्थीगण के अभिभाषक ने आर.आर.डी.1985,

आर.आर.डी. 1995, की नजीर प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित किया व साथ ही निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजियात से संबंधित प्रकरण राजस्व मण्डल में विचाराधीन होने की वजह से इजराय की पालना नहीं हो सकी।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 7/1 स 7/6 के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गयी है उसमे आक्षेपित आदेश नामान्तरण संख्या 546 दिनाक 04.05.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी जो स्वतः नामान्तरकरण से राजस्व रेकार्ड में प्रविष्ठी की गयी है तथा उपरोक्त नामान्तरण के विरूद्ध कानूनी प्रावधानो के अनुसार माननीय न्यायालय में अपील क्षेत्राधिकार में नहीं होने से निरस्त होने योग्य है क्योकि स्वतः नामान्तरण के इन्द्राज प्रविष्ठी को शुद्धि के रूप में तहसीलदार ही अधिकृत है जो तहसीलदार कार्यालय में किसी प्रकार से कोई भी चाराजोही नहीं की है। वादग्रस्त भूमि बाबत राजस्व मडल न्यायालय में इन्द्राज दूरुस्ती एवं बंटवारा एवं सिविल न्यायालय में रजिस्ट्री निरस्तीकरण बाबत वाद विचाराधीन है, के बावजूद माननीय न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुऐ अपील प्रस्तुत की गयी है जिससे मूल वाद के विचारधीन रहते हुऐ नामान्तरण के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि वादग्रस्त भूमि चौसाला जमाबंदी एव वर्किंग जमाबंदी एवं आधार जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी समस्त राजस्व रेकार्ड में प्रत्यर्थी रेकार्डेड खातेदार दर्ज चला आ रहा है तथा मौके पर आज भी रेस्पोडेन्ट का ही कब्जा काश्त व आधिपत्य चला आ रहा है जिनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा या अन्य अनुतोष मूल वाद में ही संभव है जो अनुतोष नामान्तरण की अपील में प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि के मालिक एवं स्वामी रेस्पोडेन्ट है तथा मौक पर कब्जा व आधिपत्य पुश्तैनी समय से चला आ रहा है तथा खातेदार मालिक स्वामी की खातेदारी को हटाने के लिये नामान्तरण की अपील प्रस्तुत की गयी है जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 व 7/1 स 7/6 के विद्वान अधिवक्ता ने 1969 आर.आर. डी. पेज 38 की नजीर प्रस्तुत कर कथन किया कि तहसीलदार, द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलक्टर के समक्ष होती है। इसके अलावा 2003आर.आर.टी.पेज 1176, 886, की नजीर प्रस्तुत कर कथन किया कि नियमित वाद के विचाराधीन रहने के दौरान इंतकाल की कार्यवाही स्थगित रखी जाती है। 2002 आर.आर.टी पेज 891 प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं है उसे अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। डिक्री की पालना कराने की मियाद अवधि 12 वर्ष है इसके समर्थन में 2002 आर.आर.टी पेज 891 की नजीर प्रस्तुत की। इसके अलावा एस.बी. सिविल रिट पीटिशन नम्बर 6664/2016 बउनवानी संजीव चौधी बनाम सरकार–ऑटो म्युटेशन के विरूद्ध संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील संधारण योग्य नहीं है। उक्त अपीले प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई मौखिक एवं प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज रामकरण द्वारा ग्राम मोतीपुरा स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 1360 फसली अनुसार खसरा नम्बर 269, 270, 271 व 306 जिसके चौसाला खसरा नम्बर 264 रकबा 2–18–10, 272 रकबा 2–7–10, 273 रकबा 4–17–0, 274 रकबा 3–17–10 व 309 रकबा 1–13–0 बीघा मुर्तिब किये गए जिनके वर्तमान खसरा नम्बर 681, 685, 686, 682, 684, 687, 910 तथा 910/1394 कायम किये गए जो तत्कालीन खातेदार मेघसिंह पुत्र श्री भूरसिह से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनाक 24.4.1961 को क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त किया जो श्री रामकरण तथा अपीलाट्स एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज की तन्हा खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी रामकरण एवं नाग्या की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा समस्त आराजीयात को पुश्तैनी बताते हुए उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर बटवारा बाद संख्या 14/2002 बजनवानी राधा बनाम गोपी वगैरह प्रस्तुत कर दिया गया तथा अपीलाट्स एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 751 को छोड़कर शेष आराजीयात बाबत पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उदघोषणा खातेदारी हेतु वाद सख्या 21/2002 बउनवानी गोपी बनाम रामपाल वगैरह प्रस्तुत किये गए जो विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा दिनांक 30–1–2004 को वाद संख्या 21/2002 डिक्री किया गया एवं वाद संख्या 14/2002 बउनवानी राधा बनाम गोपी खसरा नम्बर 264, 272, 273, 274 एवं 309 बाबत निरस्त किया जाकर मात्र· खसरा नम्बर 751 की हद तक डिक्री किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपीले प्रस्तुत की गयी जो दिनाक 8–2–2023 को निरस्त कर दी गयी जिसके विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा शिवराज पुत्र बालू द्वारा अपील सख्या 1639/2023 एवं 1643/2023 प्रस्तुत की गयी जिनमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के समस्त अधिकार डिक्री के आधार पर निरस्त हो गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार द्वारा नहीं की गई जिससे राजस्व रिकार्ड में समस्त खसरा नम्बरान का हिस्सा बन्दोबस्त विभाग द्वारा कारित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के आधार पर जमाबन्दी में यथावत दर्ज रहने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जमाबन्दी में दर्ज शून्य प्रविष्टि का नाजायज लाभ उठाते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर एवं उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्रीयां जो अपीलार्थीगण के पक्ष में जारी की गई थी जिसको नजर अन्दाज करते हुए तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15–3–2024 के आधार पर नामातरकरण संख्या 546 दिनांक 4–5–2024 को रेस्पोडेन्ट सख्या 2 के हक में तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड में अमल

न्यायालय समागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

समागीय आयुक्त
अजमेर

दरामद कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद विचाराधीन था जिसकी जानकारी तहसीलदार, नसीराबाद को भी थी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनाक 24–4–1961 को आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय में चुनौती प्रदान नहीं की गयी है एवं परीक्षण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण के हक में डिक्रीयां जारी की जा चुकी हैं जिससे तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 15–3–2024 उक्त डिक्री के विरूद्ध होकर प्रभावहीन हो गया जिसकी पूर्ण जानकारी तहसीलदार नसीराबाद को होने के बावजूद नामांतरकरण सख्या 546 दिनांक 4–5–2024 प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में तस्दीक कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 546 दिनांक 4–5–2024 विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जाता और प्रकरण तहसीलदार, नसीराबाद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन अपील संख्या 1639/2023 एवं 1643/2023 के सन्दर्भ में विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 24–11–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर